



# उपायुक्त का न्यायालय, रामगढ़

आदेश - पत्रक

मा : MAN-83/09

नदकार का नाम: मो0 सईद बनाम राज्य एवं महेन्द्र सिंह


आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	<p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ में दाखिल आर0 आर0 वाद संख्या-02/08-09 मो0 सईद बनाम अंचल अधिकारी, माण्डू एवं अन्य में दिनांक- 04.05.09 को पारित आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय में अपील दायर करने हेतु आवेदन दिया है। विपक्षी को सूचित करें।</p> <p>प्रविष्टि के बिन्दु पर सुनवाई हेतु अभिलेख दिनांक : 04-08-09 को रखें।</p> <p style="text-align: right;">                       उपायुक्त,                      रामगढ़।                 </p>	<p style="text-align: right;">425 26-06-09</p> <p style="text-align: right;">C.C.M.H. Rambh</p>
04-08-09	<p>अपीलार्थी - उपस्थित                      राज्य - अधिवक्ता उपस्थित                      एल्का कर्मचारी. माण्डू द्वारा जांच प्रतिवेदन संप्रति                      प.0. अन्य कार्य में व्यस्त अभिलेख दिनांक 22-09-09 को रखें।</p> <p style="text-align: right;">                       प.0 20570                 </p>	
22-09-09	<p>अपीलार्थी - अनुपस्थित                      राज्य - अधिवक्ता उपस्थित                      प.0. अन्य कार्य में व्यस्त अभिलेख दिनांक 27-11-09 को रखें।</p> <p style="text-align: right;">प.0 20570</p>	

आदेश की क्रम  
संख्या और  
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

29/08/2018

अपीलाधी - अनुपस्थित  
विपक्षी - अनुपस्थित  
आदेश हेतु सर्वे।

  
29/8/18

—: आदेश :-

उभय पक्ष लगातार अनुपस्थित। ऐसा प्रतीत होता है कि वाद की निस्तार हेतु उभय पक्ष इनकी रूचि नहीं रह गई है। फलतः उभय पक्षों की वाद के प्रति उदासिनता को देखते हुए बिना किसी प्रभावकारी आदेश के वाद की कार्रवाई बंद की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

उपायुक्त,  
रामगढ़।

605/गि/रि  
03/09/2018